/

एफ. आई. आर. एम. राजस्थान उद्योग और ओ. आर. एस. बनाम

हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। (2020 की सिविल अपील संख्या 2376)

/

अप्रैल 24,2020

[उदय उमेश ललित और वाइन सरन**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता अधिनियम, 1940-एक अधिनिर्णय के निष्पादन की सीमा-अपीलकर्ता-फर्म के स्वामित्व वाली भूमि की बीघा 1973 में प्रत्यर्थी-कंपनी के लाभ के लिए अधिग्रहित की गई थी-जिसे अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी-उच्च न्यायालय द्वारा अअनुज्ञात कर दिया गया-खंड पीठ द्वारा अनुमत विशेष अपील-प्रत्यर्थी और राजस्थान राज्य द्वारा दायर एसएलपी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-पक्षों के साथ-साथ राजस्थान राज्य के बीच समझौता हुआ जिसमें कहा गया था कि बीघा भूमि में से लगभग।104 विघाओं को अपीलार्थी द्वारा बरकरार रखा जाएगा और शेष लगभग 145 विघाओं को प्रत्यर्थी को बेचा जाएगा, जो भूमि की कीमत, निर्माण आदि के निर्धारण के अधीन होगा, जिसे मध्यस्थता के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा-आखिरकार, पक्षों के बीच दिनांकित समझौता किया गया और तदनुसार, 145 विघा भूमि की कीमत के निर्धारण के मुद्दे का निर्णय एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिनांकित पुरस्कार के माध्यम से किया गया था-पुरस्कार की पुष्टि की गई थी-अपीलार्थी ने एसएलपी दायर की-खारिज कर दिया-प्रत्यर्थी ने पुरस्कार के निष्पादन की मांग की-एडीजे-I द्वारा अनुज्ञात गई-अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी ने अपीलार्थी को पंजीकृत बिक्री विलेख को निष्पादित करने का निर्देश दिया-अपीलार्थी ने सिविल संशोधन याचिका दायर की-उसके लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी ने उसके खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया।01.02.1980 – वापस लिया गया-एडीजे-I के आदेश को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई नागरिक संशोधन याचिका-आयोजितःमध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को स्वतंत्र रूप से निष्पादित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह केवल भूमि की कीमत निर्धारित करने के लिए था और समझौते को लागू करने के लिए नहीं था-प्रत्यर्थी को अप्रत्यक्ष रूप से पुरस्कार के निष्पादन का दावा करके बिक्री विलेख के निष्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, जब दिनांकित समझौते के बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए प्रत्यक्ष दावा किया जाता था।01.02.1980 समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा वापस लेकर उसके द्वारा छोड़ दिया गया था-इसके अलावा, एक पुरस्कार का निष्पादन केवल उस हद तक हो सकता है जो प्रदान किया गया है/घोषित किया गया है और उससे परे नहीं-मध्यस्थ ने अपने निर्णय में केवल भूमि की कीमत घोषित की है।

/

/

/

/

/

/

813 ए.

814 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 5 एस. सी. आर.

और इससे अधिक कुछ नहीं-इस प्रकार, मध्यस्थ द्वारा अपने निर्णय में घोषित मूल्य पर भूमि की बिक्री विलेख के निष्पादन का प्रश्न निर्देशित नहीं किया जा सका-उच्च न्यायालय का निर्णय , रद्द कर दिया गया-राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1953-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -आर. 1 (4)-पंजीकरण अधिनियम, 1908।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया **:1.1** मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को स्वतंत्र रूप से निष्पादित नहीं किया जा सका, क्योंकि यह केवल भूमि की कीमत निर्धारित करने के लिए था न कि समझौते को लागू करने के लिए।यह पुरस्कार केवल भूमि की कीमत की घोषणा करने वाला था।समझौते के अनुसार, यदि प्रत्यर्थी इस तरह से निर्धारित कीमत पर सहमत हो जाता है, तो वह दिनांकित समझौते के संदर्भ में बिक्री विलेख निष्पादित कर सकता है क्योंकि उसके पास या तो कीमत स्वीकार करने और बिक्री विलेख निष्पादित करने का विकल्प था, या कीमत स्वीकार नहीं करना और इस प्रकार बिक्री विलेख निष्पादित नहीं करना था।इसका स्पष्ट अर्थ यह होगा कि पुरस्कार केवल भूमि की कीमत की घोषणा के लिए था, जो समझौते के अधीन होगा और प्रतिवादी के लिए मध्यस्थ द्वारा निर्धारित मूल्य पर बिक्री विलेख निष्पादित करना आवश्यक नहीं था।इस प्रकार जो निष्पादन योग्य था वह समझौता था, न कि पुरस्कार। पुरस्कार के संदर्भ में बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा दी गई राहत, इस प्रकार विधि के दायरे से बाहर है, क्योंकि पुरस्कार में प्रतिवादी के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण पर विचार नहीं किया गया था, बल्कि केवल भूमि की कीमत निर्धारित की गई थी। एक बार जब प्रत्यर्थी ने समझौते **(1996** का दीवानी मुकदमा संख्या **60)** के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे को वापस लेकर दिनांकित समझौते **(**आईडी**2)** के संदर्भ में बिक्री विलेख के निष्पादन के अपने दावे को छोड़ दिया था, जिसे आईडी**1** पर बिना शर्त वापस लेने की

अनुमति दी गई थी, तो अपीलार्थी ने बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए अपने दावे को छोड़ दिया था।इस प्रकार, प्रत्यर्थी को पुरस्कार के निष्पादन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दावा करके बिक्री विलेख के निष्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, जब दिनांक **01.02.1980** के समझौते के बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए प्रत्यक्ष दावे को प्रत्यर्थी द्वारा छोड़ दिया गया था।**[**पारस **30,32] [830-**एफ**-**एच**; 831-**ए**,** सी**-**डी**]**

/

/

/

/

/

1.2 पुरस्कार का निष्पादन केवल उस सीमा तक हो सकता है जो प्रदान किया गया है/घोषित किया गया है और उससे आगे नहीं।वर्तमान मामले में, मध्यस्थ ने अपने निर्णय में केवल ए घोषित किया था

/

815

जमीन की कीमत और कुछ नहीं।इस प्रकार, मध्यस्थ द्वारा अपने निर्णय में घोषित मूल्य पर भूमि की बिक्री विलेख के निष्पादन का प्रश्न निर्देशित नहीं किया जा सका।पूर्ण न्याय करने के लिए डिक्री के पीछे जाने का मतलब यह नहीं होगा कि मामले की पूरी प्रकृति को बदला जा सकता है, और जो प्रतिवादी के पक्ष में नहीं दिया गया था, उसे निष्पादन न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।मध्यस्थ द्वारा निर्धारित मूल्य पर भूमि खरीदने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद ही प्रत्यर्थी के पक्ष में समझौते को लागू करने का अधिकार उत्पन्न हो सकता था। वर्तमान मामले में मध्यस्थ का पुरस्कार अपने आप में पक्षों के बीच एक निर्णायक अनुबंध नहीं था, जिसे निष्पादित किया जा सकता था।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के दिनांक **05.01.1995** के आदेश को बरकरार रखते हुए **1985** की सिविल संशोधन याचिका संख्या **81** में पारित राजस्थान उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया गया है। अंतरिम आदेश के संदर्भ में, याचिकाकर्ता ने रु। **50,00,000-**इस न्यायालय की रजिस्ट्री के साथ, जिसे अल्पकालिक सावधि जमा खाते में रखने का निर्देश दिया गया था।अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार जमा की गई राशि और उस पर उपार्जित ब्याज का भुगतान प्रत्यर्थी को किया जाएगा और इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा आज से छह सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी को **1,00,000/-** की अतिरिक्त राशि का भी भुगतान किया जाएगा, जो सभी मुकदमेबाजी की लागत और प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अन्य खर्चों के लिए होगा।इसके साथ, पक्षों के बीच लंबे

समय से चली आ रही मुकदमेबाजी को शांत किया जाएगा।**[**पारस **38,44-46** और **48]** **[833-H; 834-A; 836-C-E, G; 837-F-G]**

/

/

/

/

भवन वाजा बनाम सोलंकी हनुजी खोडाजी मनसंग (1973) 2 एससीसी 40; मीनाक्षी सक्सेना बनाम ईसीजीसी लिमिटेड

(2018) 7 एससीसी 479:[2018] 5 एस. सी. आर. 421; टोपनमल

/

छोटामल बनाम कुंडोमल गंगाराम ए**.** आई**.** आर**. 1960** एस**.** सी**. 388**

– प्रतिष्ठित।

एम**.** पी**.** बनाम राज्यमंगिलाल शर्मा **(1998) 2** एस**.** सी**.** सी**. 510:**

[1997] 6 पूरक।एस. सी. आर. 662; कोल लिंकर बनाम कोल इंडिया लिमिटेड (2009) 9 एस. सी. सी. 491:[2009] 14 एस. सी. आर. 155; जे एंड के

/

बैंक लिमिटेड बनामजगदीश सी**.** गुप्ता **(2004) 10** एस**.** सी**.** सी**. 568;** गुरदेव सिंह बनाम नारायण सिंह **(2007) 14** एस**.** सी**.** सी**. 173:[2007] 11** एस**.** सी**.** आर**. 1093;** रमेश कुमार बनाम फुरू राम

(2011) 8 एससीसी **613:[2011] 10** एस**.** सी**.** आर**. 453-**पर निर्भर।

मानकचंद बनाम मनोहरलाल **71** इंड। ऐप**. 65:(**एयर

/

1944 पी**.** सी**. 46)-**संदर्भित।

816 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 5 एस. सी. आर.

/

संदर्भित निर्णय

[1997] 6 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 662** पर निर्भर

पैरा **35**

[2009] 14 एससीआर **155**

पर विश्वास किया

पैरा **36**

(2004) 10 एस**.** सी**.** सी**. 568**

पर विश्वास किया

पैरा **37**

/

[2007] 11 एससीआर **1093**

पर विश्वास किया

पैरा **38**

[2011] 10 एससीआर **453**

पर विश्वास किया

पैरा **40**

(1973) 2 एससीसी **40**

प्रतिष्ठित

पैरा **42**

[2018] 5 एससीआर **421**

प्रतिष्ठित

पैरा **43**

/

आकाशवाणी **1960** एससी **388**

प्रतिष्ठित

पैरा **43**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2020 की सिविल अपील संख्या 2376।

1995 की एस. बी. सिविल संशोधन याचिका संख्या 81 में राजस्थान उच्च न्यायालय , जयपुर पीठ, जयपुर के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

/

सुधीर चंद्र अग्रवाल, बृजेंद्र चाहर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, प्रदीप कुमार बख्शी, कुशारा पंडित, शशि भूषण, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

दुष्यंत दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, टी. एस. आहूजा, वरुण एस. आहूजा, सुश्री नेहा, डी. के. ठाकुर, नितिन कुमार ठाकुर, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वाइन सारन**,** जे।

/

1. अनुमति दी गई।

2. वर्तमान अपील में विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या एक मध्यस्थता पुरस्कार, जो बिक्री के लिए समझौते के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली भूमि के लिए मुआवजे की राशि निर्धारित करता है, को समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे के रूप में निष्पादित करने का निर्देश दिया जा सकता है, जब मध्यस्थ का संदर्भ (समझौते के अनुसार) केवल प्रश्न भूमि की कीमत निर्धारित करने के लिए था, और मध्यस्थता पुरस्कार भी केवल उसी के संबंध में था।

/

3. संक्षेप में कहा गया है कि इस मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी नं.1 एक साझेदारी फर्म है और अन्य अपीलार्थी इसके भागीदार हैं।अपीलकर्ता फर्म 249.60 बीघा (लगभग 100 एकड़) भूमि का मालिक है, जिसे अपीलार्थी ने वर्ष 1966 में खरीदा था।ए में विवाद

/

817

एफ. आई. आर. एम. राजस्थान उद्योग और ओ. आर. एस. बनामहिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. [वाइन सारन, जे.] ए.

वर्तमान अपील चार दशकों से अधिक की अवधि से संबंधित है।उक्त भूमि अधिग्रहण का विषय थी, जिसके लिए राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1953 (संक्षेप में, "1953 का अधिनियम") की धारा 4 के अंतर्गत राजस्थान राज्य द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी, जो

अधिग्रहण प्रत्यर्थी-उद्योग के लाभ के लिए था।उक्त अधिसूचना को अपीलार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या में चुनौती दी गई थी।389 1974 का, जिसे उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 23.07.1974 के निर्णय के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।उसी को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष 1974 की विशेष अपील दायर की, जिसके लंबित रहने के दौरान 1953 के अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित धारा 6 के अंतर्गत एक घोषणा राजस्थान राज्य द्वारा जारी की गई थी।उक्त अधिग्रहण को चुनौती देने वाली विशेष अपील को राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने दिनांक 05.10.1976 के निर्णय के माध्यम से अनुज्ञात थी और इस प्रकार अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी-हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ-साथ राजस्थान राज्य ने अलग-अलग विशेष अनुमति याचिकाएं (क्रमशः 1977 की संख्या 4199 और 1978 की संख्या 1060) दायर कीं, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।4. उक्त विशेष अनुमति याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, राजस्थान राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री-सह-उद्योग मंत्री के हस्तक्षेप पर, इसमें पक्षों के साथ-साथ राजस्थान राज्य के बीच एक समझौता किया गया था, जिसे दिनांक 1 की बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया था, जिसका प्रभाव यह था कि अपीलकर्ता फर्म से संबंधित भूमि के 2 बीघा में से लगभग 104 बीघा भूमि अपीलकर्ता द्वारा रखी जाएगी और शेष लगभग 145 बीघा भूमि, निर्माण आदि की कीमत के निर्धारण के अधीन प्रतिवादी-कंपनी को बेची जाएगी, जिसे मध्यस्थता के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा।

/

/

/

/

/

5. इसके अनुसार, अपीलार्थी-फर्म और प्रत्यर्थी-कंपनी के बीच 16.02.1979 दिनांकित एक समझौता किया गया था।16.02.1979 दिनांकित उक्त समझौते को पार्टियों के बीच निष्पादित 01.02.1980 दिनांकित एक अन्य समझौते द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

/

6. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी-कंपनी को बेची जाने वाली भूमि की कीमत के निर्धारण के मामले का निर्णय एकमात्र मध्यस्थ, न्यायमूर्ति चंद्र भान भार्गव (सेवानिवृत्त) द्वारा किया गया था।उक्त पुरस्कार में मध्यस्थ ने उल्लेख किया कि

पक्षों ने "के निर्धारण के संबंध में अपने विवाद का उल्लेख किया था

/

एकमात्र मध्यस्थ के रूप में मुझे भूमि का मुआवजा। "मुख्य विशेषता

उक्त पुरस्कार में तय किया गया था कि प्रत्यर्थी-कंपनी के पक्ष में हस्तांतरित की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य 27.11.1978 पर निर्धारित किया जाएगा, जो वह तारीख थी जिस पर पक्ष भूमि हस्तांतरण करने के लिए सहमत हुए थे।इसके अनुसरण में, प्रश्न भूमि के लिए कुल मुआवजे की राशि मध्यस्थ द्वारा Rs.12,18,700/- के रूप में निर्धारित की गई थी।उक्त पुरस्कार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-1, भरतपुर के समक्ष 10.06.1985 पर दायर किया गया था।पुरस्कार पारित होने के बाद, प्रत्यर्थी-कंपनी ने अपने दिनांक 15.07.1985 के संचार के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा अपीलार्थी को पुरस्कार की अपनी स्वीकृति से अवगत कराया। 18.07.1985 दिनांकित संचार के माध्यम से मध्यस्थ को भी यही बताया गया था।

/

/

7. अपीलार्थी ने तब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-1, भरतपुर के समक्ष पुरस्कार पर अपनी आपत्तियाँ दायर कीं और दिनांक 22.11.1988 के आदेश के अनुसार, आपत्तियों को अनुज्ञात कर लिया गया और मामले को एकमात्र मध्यस्थ को वापस भेज दिया गया।उक्त दिनांक 22.11.1988 आदेश को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी-कंपनी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष 1990 की सिविल संशोधन याचिका संख्या 163 दायर की, जिसे 01.12.1993 पर संशोधन याचिका की अनुज्ञात गई और मध्यस्थ द्वारा पारित दिनांकित 09.06.1985 पुरस्कार की पुष्टि की गई और इसे न्यायालय का नियम बना दिया गया।राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी ने 1994 की विशेष अनुमति याचिका No.3684 दायर की थी, जिसे इस न्यायालय ने 29.03.1994 पर खारिज कर दिया था। इस प्रकार पुरस्कार को अंतिम रूप मिला।

/

/

8. इसके बाद 16.05.1994 पर, प्रतिवादी-कंपनी ने पुरस्कार के निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया।उक्त आवेदन में,

यह कहा गया था कि "मध्यस्थ के निर्णय में निहित निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निष्पादन के लिए प्रतिवादी को स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

/

बिक्री विलेख "।उक्त आवेदन में की गई प्रार्थना यह थी कि अपीलकर्ताओं को कदम उठाने और प्रतिवादी द्वारा यहां दायर किए गए स्टाम्प पेपरों पर बिक्री विलेख को निष्पादित करने का निर्देश दिया जाए और उसके बाद बिक्री विलेख को इसके पंजीकरण के लिए उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।वैकल्पिक रूप से, यह प्रार्थना की गई थी कि यदि अपीलकर्ता बिक्री विलेख को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो इसे न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। उसी के जवाब में, अपीलकर्ताओं ने निष्पादन आवेदन का विरोध करते हुए 19.7.1994 पर अपना जवाब दाखिल किया और विशेष रूप से इस बात से इनकार किया कि बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए ऐसा कोई निर्देश, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा आवेदन की प्रार्थना में किया गया है, मध्यस्थ के पुरस्कार में दिया गया था।

/

/

819

एफ. आई. आर. एम. राजस्थान उद्योग और ओ. आर. एस. बनामहिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. [वाइन सारन, जे.] ए.

/

9. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-I, भरतपुर ने दिनांक 05.01.1995 के निर्णय और आदेश द्वारा मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 17 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी के आवेदन की अनुज्ञात और अपीलकर्ताओं को बिक्री विलेख को निष्पादित करने और पंजीकृत करने और प्रश्न भूमि का कब्जा प्रतिवादी को सौंपने का निर्देश दिया।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-I, भरतपुर, दिनांक 05.01.1995 के निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष 1995 की सिविल संशोधन याचिका संख्या 81 दायर की।

/

10. अपीलार्थियों द्वारा दायर सिविल संशोधन याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी-कंपनी ने पक्षकारों यानी अपीलार्थियों और प्रत्यर्थी-कंपनी के बीच दिनांकित समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करने वाले अपीलार्थियों के खिलाफ 1996 का सिविल मुकदमा संख्या 60 दायर किया।अपीलार्थियों द्वारा दायर 1995 की सिविल संशोधन याचिका संख्या 81 राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रही, जब प्रतिवादी-कंपनी ने 1996 का सिविल मुकदमा संख्या 60 दायर किया था।यहां तक कि जब अपीलकर्ताओं के दीवानी मुकदमे का फैसला नहीं किया गया था, तब भी प्रतिवादी-कंपनी ने अपने आवेदन दिनांक 06.02.2006 के माध्यम से 1996 के दीवानी मुकदमे संख्या 60 को वापस लेने की मांग की।इसके अनुसरण में, 1996 के सिविल सूट संख्या 60 को प्रतिवादी-कंपनी द्वारा परीक्षण विचारण न्यायालय द्वारा पारित

13.02.2006 के आदेश के माध्यम से दिनांकित 01.02.1980 के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करते हुए बिना शर्त वापस लेने की अनुमति दी गई थी।

/

/

11. यह तब था जब प्रतिवादी-कंपनी द्वारा मुकदमा वापस लेने के एक दशक से अधिक समय के बाद, 1995 की सिविल संशोधन याचिका 81, जिसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-I के दिनांक 05.01.1995 के आदेश को चुनौती दी गई थी, को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2016 के एक विस्तृत आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।उच्च न्यायालय ने राय दी कि 1996 का दीवानी मुकदमा संख्या 60 प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा पर्याप्त सावधानी के मामले के रूप में दायर किया गया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया और केवल दीवानी मुकदमा दायर करना प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा यह स्वीकार करने के बराबर नहीं होगा कि पुरस्कार और इसके आधार पर बाद का आदेश उपयुक्त और प्रवर्तनीय नहीं था।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-I के दिनांक 05.01.1995 के आदेश को बरकरार रखते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल संशोधन याचिका को खारिज कर दिया गया था।दिनांक 04.07.2016 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर, यह अपील विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से दायर की गई है।

/

/

/

12. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुधीर चंद्र अग्रवाल का निवेदन है कि निष्पादन न्यायालय ने दिनांकित 05.01.1995 आदेश पारित करते समय पुरस्कार से आगे की यात्रा की है, क्योंकि मध्यस्थता पुरस्कार दिनांकित 09.06.1985 में केवल भूमि की कीमत है।

/

प्रश्न का निर्धारण मध्यस्थ द्वारा किया गया था और उसने प्रत्यर्थी-कंपनी के पक्ष में प्रश्न भूमि में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित घोषित, सृजित या प्रदान नहीं किया था।यह तर्क दिया गया था कि दिनांक 1 के समझौते द्वारा, अपीलकर्ता अपनी भूमि प्रतिवादी-कंपनी को एक मध्यस्थ द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर बेचने के लिए सहमत हुए थे, और प्रतिवादी-कंपनी को

समझौते में एक विकल्प दिया गया था कि वह मध्यस्थ द्वारा कीमत निर्धारित करने के 45 दिनों की अवधि के भीतर भूमि खरीदने या खरीदने से इनकार करने के लिए प्रयोग किया जाए।इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, 01.02.1980 दिनांकित समझौते के परिणामस्वरूप केवल प्रतिवादी-कंपनी द्वारा मध्यस्थ द्वारा निर्धारित मूल्य पर भूमि खरीदने के लिए अपनी सहमति देने या ऐसा करने से इनकार करने के बाद ही एक निष्कर्षित अनुबंध होना था।इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी ने पुरस्कार के पारित होने के समय भी कोई प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त नहीं किया था, क्योंकि पुरस्कार के पारित होने के समय भी पक्षों के बीच कोई निष्कर्षित अनुबंध मौजूद नहीं था, क्योंकि पक्षकारों के संविदात्मक दायित्व पुरस्कार के पारित होने के बाद और प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा मध्यस्थ द्वारा निर्धारित मूल्य पर भूमि खरीदने के अपने विकल्प का उपयोग करने के बाद ही उत्पन्न होने थे।विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि निष्पादन न्यायालय पुरस्कार के पीछे या उससे आगे नहीं जा सकता था, और इस प्रकार पक्षों के बीच किए गए समझौते पर विचार नहीं कर सकता था।मध्यस्थ के संदर्भ का दायरा केवल उस भूमि की कीमत के निर्धारण के संबंध में है जिस पर अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी-कंपनी को इसे बेचा जा सकता है, इस प्रकार पुरस्कार के निष्पादन में, प्रत्यर्थी के पक्ष में अपीलकर्ताओं द्वारा बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए कोई निर्देश निष्पादन न्यायालय द्वारा दिनांकित समझौते के अनुसरण में जारी नहीं किया जा सकता था, विशेष रूप से जब दिनांकित समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा 01.02.1980 पर वापस ले लिया गया था, जो बिना किसी शर्त के था।

/

/

/

/

/

13. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि किसी अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित पैदा करने वाले किसी भी साधन या पुरस्कार को पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना आवश्यक होगा, और इसे पंजीकृत नहीं किया गया है, इसे निष्पादित नहीं किया जा सकता है।यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में न तो 01.02.1980 दिनांकित समझौता और न ही 09.06.1985 दिनांकित पुरस्कार दर्ज किया गया था।यह जोरदार आग्रह किया गया था कि जब प्रतिवादी-कंपनी को दिनांकित 01.02.1980 (जो पंजीकृत नहीं था) के समझौते के निष्पादन की मांग करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था और तब भी जब 1996 का दीवानी मुकदमा संख्या 60 ए

/

/

एफ. आई. आर. एम. राजस्थान उद्योग और ओ. आर. एस. बनामहिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. [वाइन सारन, जे.] ए.

प्रतिवादी-कंपनी द्वारा दिनांक 01.02.1980 के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दायर किए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया था क्योंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश XXXIII नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 06.02.2006 पर दायर एक आवेदन पर बिना शर्त वापस ले लिया गया था, भूमि की कीमत निर्धारित करने वाले पुरस्कार के निष्पादन में उक्त समझौते का निष्पादन दिनांक 01.02.1980 (मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 17 के अंतर्गत आवेदन पर निर्णय लेते समय) पारित नहीं किया जा सकता था।वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया गया था कि 01.02.1980 दिनांकित समझौता लागू करने योग्य नहीं था क्योंकि यह अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया था।

/

14. मध्यस्थ के निर्णय में निर्धारित भूमि की कीमत के संबंध में, गुण-दोष के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि वह कीमत जो 27.11.1978 पर निर्धारित की गई थी, न कि उस तारीख को जिस पर बिक्री विलेख निष्पादित किया जाना था।चूँकि तय की गई कीमत रुपये की मामूली राशि थी। लगभग 145 बीघा (लगभग 2 एकड़) भूमि के लिए, पुरस्कार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण अत्यधिक अनुचित था क्योंकि भूमि का वर्तमान मूल्य करोड़ों में होगा।अंत में, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि जैसा कि इस अपील में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.02.2007 में प्रस्तावित और दर्ज किया गया है, अपीलार्थी प्रत्यर्थी-कंपनी को मुकदमेबाजी की लागत और उसके द्वारा किए गए अन्य खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार थे, जो अपीलार्थी अभी भी तैयार हैं और भुगतान करने के लिए तैयार हैं।अपनी प्रस्तुति को समाप्त करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने दोहराया कि निष्पादन न्यायालय ने पुरस्कार से परे यात्रा करने में घोर गलती की थी और अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था, जो केवल भूमि की कीमत निर्धारित करने के लिए था न कि बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए।इस प्रकार यह आग्रह किया गया कि निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित 05.01.1985 दिनांकित आदेश और सिविल संशोधन याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित 04.07.2016 दिनांकित आदेश को रद्द कर दिया जाए।

/

/

/

/

15. इसके विपरीत प्रत्यर्थी-कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे और श्री सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि अपीलकर्ता मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर दिनांकित समझौते के संदर्भ में प्रश्न भूमि को बेचने के लिए सहमत हुए थे, और एक बार मध्यस्थ द्वारा भूमि की कीमत निर्धारित करने के बाद, निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्देशित उसी का निष्पादन पूरी तरह से उचित था।यह वर्ष 1980 में पक्षों के बीच किया गया गंभीर समझौता था, जिसे 09.06.1985 पर मध्यस्थ के पुरस्कार के पारित होने के बाद और बिक्री विलेख के निष्पादन का निर्देश देकर निष्पादित करने की मांग की गई थी।

/

/

न्यायालय ने पक्षों के बीच पर्याप्त न्याय किया है।यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ताओं ने कभी भी यह घोषणा करने के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया था कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 के आधार पर दिनांकित समझौता अमान्य था, न ही इसने कभी भी समझौते की वैधता और वैधता को चुनौती दी थी।विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यह आरोप लगाना गलत था कि अपीलार्थियों द्वारा किया गया समझौता कथित रूप से जबरदस्ती के अंतर्गत था।समझौता हमेशा पक्षों के बीच बाध्यकारी बना रहा और मध्यस्थ द्वारा प्रश्न भूमि की कीमत के निर्धारण के बाद निष्पादन योग्य था, और अपीलार्थी किसी भी मामले में इससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर सकते थे।मध्यस्थ द्वारा निर्धारित भूमि की कीमत की मात्रा का अब इस आधार पर पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सका है कि भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य बहुत अधिक है।तब यह तर्क दिया गया कि निष्पादन न्यायालय की शक्ति बहुत व्यापक है और मध्यस्थ के निर्णय को प्रभावी बनाना उसका कर्तव्य है।इस प्रकार यह आग्रह किया गया कि निष्पादन न्यायालय का दायरा और शक्ति पुरस्कार की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त व्यापक है, जिस समझौते पर पुरस्कार आधारित है, और अभिवचन भी।इस प्रकार, उपरोक्त पर विचार करते हुए, निष्पादन न्यायालय समझौते के निष्पादन का आदेश देने में उचित था और ऐसा करने के बाद, यह न केवल वर्तमान मामले के तथ्यों में उचित और उपयुक्त था, बल्कि न्यायालय ने पक्षों के बीच पूर्ण न्याय किया है।

/

/

/

/

16. जहां तक प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा दिनांकित समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए 1996 का सिविल मुकदमा संख्या 60 दाखिल करने के संबंध में, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील-कंपनी ने प्रस्तुत किया है कि कानूनी सलाह प्राप्त करने पर, 1996 का उक्त सिविल मुकदमा संख्या 60 को 13.02.2006 पर वापस ले लिया गया था, क्योंकि पुरस्कार के निष्पादन के लिए याचिका पहले से ही लंबित थी।यह प्रस्तुत किया गया है कि यह तर्क कि दिनांक 1 के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए 1996 के दीवानी मुकदमा संख्या 60 को दाखिल करना प्रतिवादी-कंपनी की ओर से यह स्वीकार करने के समान है कि पुरस्कार में बिक्री विलेख के निष्पादन और प्रश्न भूमि का कब्जा सौंपने के निर्देश की परिकल्पना नहीं की गई थी, पूरी तरह से गलत धारणा है, क्योंकि किसी भी मामले में, विधि के खिलाफ कोई स्वीकार नहीं किया जा सकता है।प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस प्रकार तर्क दिया कि अपील गुणदोष से रहित है, और खारिज किए जाने के योग्य है।

/

/

17. अंत में, इस अपील में पारित इस न्यायालय के दिनांक 23.02.2017 के आदेश के संबंध में, प्रतिवादी को सुझाव देते हुए-ए

/

कंपनी ने कहा कि क्या प्रतिवादी-कंपनी संतुष्ट होगी यदि मुकदमेबाजी की लागत और उसके द्वारा किए गए अन्य खर्चों के लिए उसे Rs.60 लाख का भुगतान किया गया था और विवाद को समाप्त किया गया था, तो प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने सुझाव दिया कि दूसरी ओर, प्रतिवादी-कंपनी मुकदमेबाजी को शांत करने के लिए अपीलकर्ताओं को भुगतान किए जाने वाले Rs.60 लाख जमा करने के लिए सहमत होगी।

/

18. हमने पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

19. पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों पर भरोसा किया है, जिन पर उनकी दलीलों पर विचार करते समय विचार किया जाएगा।20. इस अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक इस मामले के तथ्यों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

/

(क) 1966 में, अपीलकर्ता फर्म ने 249.60 बीघा (ऐप) खरीदा। 100 एकड़) भूमि।

/

(ख) उत्तरदाता-उद्योग के लाभ के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की गई थी।

(ग) आई. डी. 1 पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने उपरोक्त अधिग्रहण को चुनौती देते हुए अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज कर दिया।

/

(घ) राजस्थान राज्य द्वारा 1953 के अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत जारी एक घोषणा।

(ई) आई. डी. 2 पर, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा रिट में पारित आई. डी. 1 के आदेश के खिलाफ एक विशेष अपील की अनुज्ञात गई और अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

/

(च) 1977/1978 में, दिनांकित 05.10.1976 के निर्णय को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाएं प्रतिवादी और राजस्थान राज्य द्वारा दायर की गई थीं, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा 29.03.1994 पर खारिज कर दिया गया था।

/

(छ) राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर, इस आशय का एक समझौता किया गया था कि 249.60 बीघा में से 104 बीघा यहाँ अपीलार्थी द्वारा रखी जाएंगी और 145 बीघा यहाँ प्रतिवादी को बेची जाएंगी, बशर्ते कि मध्यस्थता के माध्यम से कीमत तय की जाए।

/

(ज) 16.02.1979 पर, इसमें अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच एक समझौता किया गया था।

(i) 01.02.1980 पर, पहले के दिनांकित 16.02.1979 समझौते को निरस्त करने वाले पक्षों के बीच एक नया समझौता किया गया था, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि प्रतिवादी को बेची जाने वाली लगभग 145 बीघा भूमि की कीमत मध्यस्थता के माध्यम से निर्धारित की जाएगी।

/

(जे) 09.06.1985 पर, मध्यस्थ द्वारा 145 बीघा भूमि (27.11.1978 के अनुसार) का मूल्य निर्धारित करते हुए पारित किया गया अधिनिर्णय Rs.12,18,700 होगा, जो प्रत्यर्थी को बेची जाने वाली भूमि के लिए देय मूल्य होगा।

/

(के) अपीलार्थी ने एडीजे-1, भरतपुर के समक्ष पुरस्कार पर आपत्तियाँ दायर कीं।

(l) एडीजे-1, भरतपुर ने आपत्तियों को अनुज्ञात कर लिया और मामले को मध्यस्थ को वापस भेज दिया।

/

(एम) उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष 1993 की सिविल संशोधन याचिका संख्या 163 दायर की।(n) 01.12.1993 पर, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल संशोधन याचिका की अनुज्ञात गई थी और 09.06.1985 दिनांकित पुरस्कार की पुष्टि की गई थी और इसे न्यायालय का नियम बना दिया गया था।

/

(o) 29.03.1994 पर, दिनांकित 01.12.1993 आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और पुरस्कार को अंतिम रूप दिया गया था।

(पी) 16.05.1994 पर, प्रतिवादी ने दिनांकित 09.06.1985 के पुरस्कार के निष्पादन के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया।

/

(क्यू) 06.07.1994 पर, अपीलार्थी ने पुरस्कार के निष्पादन के लिए आवेदन पर आपत्तियां दायर कीं।

(आर) 05.01.1995 पर, एडीजे-1 भरतपुर ने प्रत्यर्थी के आवेदन की अनुज्ञात और अपीलार्थी को एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करने और प्रत्यर्थी को प्रश्न भूमि का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया।

/

(एस) 1995 में, अपीलार्थी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष 1995 की सिविल संशोधन याचिका संख्या 81 दायर की, जिसमें आदेश ए को चुनौती दी गई।

/

825

एफ. आई. आर. एम. राजस्थान उद्योग और ओ. आर. एस. बनामहिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. [वाइन सारन, जे.] ए.

एडीजे-1 भरतपुर दिनांक 05.01.1995 जो 04.07.2016 तक लंबित रहा।

(टी) 29.11.1996 पर, प्रत्यर्थी ने दिनांकित 01.02.1980 समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करने वाले अपीलार्थी के खिलाफ 1996 का दीवानी मुकदमा संख्या 60 दायर किया।

/

(यू) 06.02.2006 पर, प्रत्यर्थी ने 1996 का अपना दीवानी मुकदमा संख्या 60 वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया।

(v) 13.02.2006 पर, 1996 के दीवानी मुकदमा संख्या 60 को बिना शर्त वापस लेने की अनुज्ञात गई।

(डब्ल्यू) 04.07.2016 पर, प्रत्यर्थी द्वारा दायर 1995 की सिविल संशोधन याचिका संख्या 81 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, जिसके तहत एडीजे-1, भरतपुर दिनांक 05.01.1985 के आदेश को बरकरार रखा गया था।

/

(x) 17.08.2016 पर, अपीलार्थी ने 04.07.2016 दिनांकित निर्णय को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की।

/

(y) 02.09.2016 पर, इस न्यायालय ने इस न्यायालय की रजिस्ट्री में अपीलार्थी द्वारा Rs.50,00,000/- जमा करने पर इस अपील में स्थगन आदेश पारित किया।

(z) 23.02.2017 पर, इस न्यायालय ने आदेश में एक सुझाव दर्ज किया कि क्या प्रतिवादी मुकदमेबाजी और अन्य खर्चों की लागत के लिए Rs.60,00,000/- लेने और विवाद को समाप्त करने के लिए संतुष्ट होगा।

/

21. प्रत्यर्थी के मामले का एंकर शीट पक्षों (यानी अपीलार्थी और प्रत्यर्थी) के बीच दिनांकित 01.02.1980 के साथ-साथ दिनांकित 09.06.1985 का मध्यस्थता पुरस्कार है।

/

22. 01.02.1980 दिनांकित समझौते का प्रासंगिक हिस्सा (16.02.1979 दिनांकित पिछले समझौते को प्रतिस्थापित करते हुए) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“.....

/

और जहां मध्यस्थता के लिए उपरोक्त समझौते के अनुसरण में, विवाद को माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री बी. पी. बेरी द्वारा मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने पर सहमति व्यक्त की गई थी ताकि अधिग्रहण के अंतर्गत भूमि के संबंध में पक्ष संख्या 2 को दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा निर्धारित की जा सके।

/

राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार।

.....

और चूंकि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान एक-दूसरे को समायोजित करने की दृष्टि से पक्षकारों ने विवाद को निम्नलिखित तरीके से मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए उपरोक्त समझौते को संशोधित करने पर सहमति व्यक्त की हैः-

/

1.....

2. वह पक्ष संख्या 1 हिंदुस्तान विकास निगम लिमिटेड और जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स स्पष्ट रूप से साधारण संख्या 1 दिनांक 14.01.1977 में चिह्नित लगभग 104 बीघा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच मापने वाले क्षेत्र के मध्यस्थ द्वारा मूल्य के निर्धारण को त्याग देते हैं और सभी प्राधिकरणों के समक्ष इसके अधिग्रहण के संबंध में सभी दावों को पार्टी संख्या 1 द्वारा योजना संख्या 1 दिनांक 14.01.1977 के ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच चिह्नित भूमि के संबंध में त्याग दिया गया माना जाएगा।पक्ष संख्या 1 अधिग्रहण के माध्यम से या भविष्य में उपरोक्त भूमि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच पर दावा नहीं करेगी।

/

/

3. ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच चिह्नित हिस्से को हटाने के बाद अधिग्रहण के अंतर्गत शेष भूमि लगभग 145 बीघा "एल" आकार में होगी जिसे उपरोक्त योजना में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई के रूप में चिह्नित किया गया है।

/

4. कि मध्यस्थ उपरोक्त पैरा सं. 3 में निर्दिष्ट भूमि के लिए मुआवजे का निर्धारण करेगा।

/

5.....

6.....

7.....

/

8. कि मध्यस्थ द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि पक्षों के लिए बाध्यकारी होगी।बशर्ते कि मुआवजे की ऐसी राशि पक्ष संख्या 1 को स्वीकार्य नहीं है, तो उसके पास इसे स्वीकार नहीं करने का विकल्प होगा और वह किसी भी तरह से उपरोक्त भूमि लेने का हकदार नहीं होगा।

/

827

एफ. आई. आर. एम. राजस्थान उद्योग और ओ. आर. एस. बनामहिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. [वाइन सारन, जे.] ए.

/

9. यदि पक्ष संख्या 1 पैरा 8 में उसके लिए आरक्षित विकल्प का प्रयोग करते हुए मध्यस्थ द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि को स्वीकार करता है, तो मध्यस्थ से पुरस्कार की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर पक्ष संख्या 2 के साथ-साथ मध्यस्थ को अपने विकल्प का प्रयोग करने के बारे में सूचित करेगा।मध्यस्थ के लिए संचार को पर्याप्त संचार के रूप में माना जाएगा, कि पक्ष संख्या 1 ने दिनांकित योजना में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई के रूप में चिह्नित भूमि के क्षेत्र को खरीदने के लिए अपने विकल्प का उपयोग करने का विकल्प चुना है।पार्टी संख्या 2, पार्टी संख्या 1 द्वारा पार्टी संख्या 2 (स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क पार्टी संख्या 1 द्वारा वहन किया जाएगा) को हस्तांतरण के मुहरबंद विलेख के वितरण के तीस दिनों के भीतर बिक्री विलेख (जिसका मसौदा मध्यस्थता के इस विलेख के साथ संलग्न है) को निष्पादित करने

के लिए बाध्य होगा और बिक्री विलेख के विचार का भुगतान पार्टी संख्या 1 द्वारा पार्टी संख्या 2 को उप-पंजीयक की उपस्थिति में, पंजीकरण के समय भरतपुर में किया जाएगा।पार्टी संख्या 2 पंजीकरण के समय उपरोक्त भूमि के पार्टी संख्या 1 को एक साथ कब्जा सौंप देगी।

/

/

/

10. कि मध्यस्थ का निर्णय दोनों पक्षों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और उक्त भूमि के अधिग्रहण के मामले के संबंध में कहीं भी किसी भी स्तर पर लंबित किसी भी कार्यवाही को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्रस्तावित किया गया माना जाएगा।

/

11.....

12.....

/

13..... "

(जोर दिया गया)

23. इस प्रकार, 01.02.1980 दिनांकित समझौते की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

/

• मध्यस्थ को दिया जाने वाला संदर्भ प्रत्यर्थी द्वारा भुगतान की जाने वाली भूमि (145 बीघा) के लिए मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए था।

• प्रत्यर्थी-कंपनी को ऐप के अपने दावे को छोड़ना था।104 अपीलार्थी-फर्म के पक्ष में भूमि की बीघा।

/

• मध्यस्थ को 145 बीघा भूमि (जिसे अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को हस्तांतरित किया जाना था) के मुआवजे का निर्धारण करना था, जो सभी मामलों में पक्षों के लिए बाध्यकारी था।

• यदि प्रतिवादी-कंपनी को मुआवजा स्वीकार्य नहीं था, तो उसके पास इसे स्वीकार नहीं करने का विकल्प होगा।

/

• यदि प्रत्यर्थी ने इसे स्वीकार कर लिया, तो 45 दिनों के भीतर अपीलार्थी को सूचित करना था, जिसके बाद अपीलार्थी अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा हस्तांतरण के स्टाम्प विलेखों के वितरण के 30 दिनों के भीतर बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा, और पंजीकरण के समय उप-पंजीयक के समक्ष प्रतिफल का भुगतान किया जाना था, और अपीलार्थी को एक साथ कब्जे को वितरित करना था।

/

(ध्यान देंःपहले के दिनांकित 16.02.1979 समझौते में, प्रतिवादी के लिए अपीलार्थी के बैंक खाते में मुआवजे की राशि जमा करने का प्रावधान था, यदि अपीलार्थी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, जिसे वैध भुगतान माना जाना था।)

/

24. एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित दिनांक 09.06.1985 के पुरस्कार में, शुरुआती पैराग्राफ में यह देखा गया था कि दिनांक 01.02.1980 के समझौते द्वारा, पक्षों (यानी अपीलकर्ता और प्रतिवादी) ने "निर्दिष्ट" किया था।

भूमि के मुआवजे के निर्धारण के संबंध में उनका विवाद

/

मुझे एकमात्र मध्यस्थ के रूप में "।मूल्य का प्रश्न निर्धारित करते समय

भूमि मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि "मैं तदनुसार मानता हूँ कि भूमि का बाजार मूल्य 27.11.1978 पर (के रूप में) निर्धारित किया जाएगा।"यह था।

इस आधार पर निर्णय लिया गया कि समझौते से पहले की बैठक के प्रारंभिक कार्यवृत्त उक्त तिथि यानी 27.11.1978 पर दर्ज किए गए थे।उक्त पुरस्कार का परिचालन भाग इस प्रकार हैः

/

“ उपरोक्त निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, पक्ष संख्या 2 (यानी इसमें प्रतिवादी) पक्ष संख्या 1 (यानी इसमें अपीलकर्ता) से मुआवजे के रूप में निम्नलिखित राशियों का हकदार है।

पूर्व के पैरा 3 में उल्लिखित भूमि के लिए निर्माण। ए. 1 और एक्स में हरे रंग में दिखाया गया है। ए. 2;

/

(i) प्रति बीघा 9,000 रुपये की दर से 95 बीघा भूमि।

.....8, 55 रुपये, 000.00

((ii) 50 बीघा भूमि 4,500 रुपये प्रति बीघा की दर से।

.....25 रुपये, 000.00 A

/

829

एफ. आई. आर. एम. राजस्थान उद्योग और ओ. आर. एस. बनामहिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. [वाइन सारन, जे.] ए.

————————————

Rs.10,80,000.00

((ग) उपरोक्त राशि पर ऋण माफी (अवैध)।...रु. 1,08,000.00---------- -

Rs.11,88,000.00 (iv) परिसर की दीवार के लिए क्षतिपूर्ति

/

...Rs.20,700.00 (v) पेड़ों के लिए क्षतिपूर्ति।.....Rs.10,000.00-------- कुल रु। 12, 18, 700.00---------- -

/

(बारह लाख अठारह हजार सात सौ रुपये)।पार्टियों की उपस्थिति में घोषणा की और हस्ताक्षर किए।

25. यह उल्लेखनीय है कि मध्यस्थ का संदर्भ केवल 145 बीघा भूमि के मूल्य के निर्धारण या प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि के लिए अपीलार्थी को दिए जाने वाले मुआवजे के संबंध में था, जो मध्यस्थ के अवलोकन से स्पष्ट है।

/

यह निर्णय कि पक्षों ने "भूमि के मुआवजे के निर्धारण के संबंध में अपने विवाद को मुझे एकमात्र मध्यस्थ के रूप में संदर्भित किया था",

अर्थात् इस प्रकार मध्यस्थ को अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा भूमि के लिए भुगतान की जाने वाली भूमि की कीमत/मुआवजे की घोषणा करनी थी, और इससे अधिक कुछ नहीं।

/

26. इस मामले के उपरोक्त तथ्यों में, इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए जो एकमात्र प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या मध्यस्थ का संदर्भ, दिनांकित समझौते के संदर्भ में, केवल समझौते के संदर्भ में प्रत्यर्थी को अपीलार्थी द्वारा बेची जाने वाली भूमि की कीमत निर्धारित करने के लिए था, और यदि ऐसा है, तो क्या बिक्री विलेख को निष्पादित करने का निर्देश दिनांकित आदेश के माध्यम से जारी किया जा सकता है, भले ही प्रत्यर्थी द्वारा दिनांकित समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दायर 1996 का सिविल मुकदमा संख्या 60, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा 01.02.1980 पर बिना शर्त वापस ले लिया गया था।

/

/

27. हमारी सुविचारित राय में, वर्तमान मामले के तथ्यों में, इसका उत्तर एक जोरदार "नहीं" होगा।

28. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि दिनांकित 01.02.1980 समझौते के संदर्भ में, मध्यस्थ को केवल उस भूमि की कीमत तय करने के लिए अधिकृत किया गया था जिसे अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को बेचा जाना था।

/

उपरोक्त समझौता।दिनांकित 01.02.1980 के उक्त समझौते में, प्रत्यर्थी को या तो मध्यस्थ द्वारा निर्धारित मूल्य को स्वीकार करने और बिक्री विलेख के साथ आगे बढ़ने, या मध्यस्थ द्वारा निर्धारित मूल्य पर बिक्री विलेख को निष्पादित करने से इनकार करने का विकल्प दिया गया था। इस प्रकार, इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि बिक्री मध्यस्थ द्वारा निर्धारित मूल्य पर की जानी थी।इस प्रकार, यह केवल 01.02.1980 दिनांकित समझौता था जिसे मध्यस्थ द्वारा निर्धारित मूल्य पर निष्पादित किया जा सकता था, यदि प्रतिवादी इसके लिए सहमत हो जाता।

/

29. मध्यस्थ द्वारा दिनांक 09.06.1985 के पुरस्कार के पारित होने के बाद, जिसकी बाद में पुष्टि की गई और राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 01.12.1993 पर न्यायालय का नियम बनाया गया और उक्त आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को 29.03.1994 पर खारिज कर दिया गया और पुरस्कार ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी, प्रतिवादी ने दिनांक 01.02.1980 के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए 1996 का सिविल

मुकदमा No.60 दायर किया।यह मुकदमा समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए था जिसके अंतर्गत दिनांकित समझौते 01.02.1980 के संदर्भ में बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए एक निर्देश जारी किया जा सकता था।हालाँकि, प्रतिवादी द्वारा 06.02.2006 पर दायर एक आवेदन पर इसे 13.02.2006 पर बिना शर्त वापस ले लिया गया था।विशिष्ट निष्पादन के लिए इस तरह के मुकदमे को वापस लेने के साथ, दिनांकित 01.02.1980 समझौते के संदर्भ में बिक्री विलेख के निष्पादन के संबंध में मामला समाप्त हो गया।1996 के दीवानी मुकदमा संख्या 60 को वापस लेने का प्रभाव यह होगा कि उसमें वादी (इसमें प्रतिवादी) ने दिनांकित समझौते 01.02.1980 के संदर्भ में बिक्री विलेख के निष्पादन के अपने दावे को छोड़ दिया था, जो आदेश XXIII सीपीसी के नियम 1 (4) के प्रावधानों से स्पष्ट होगा।

/

/

/

30. इस मामले के तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को स्वतंत्र रूप से निष्पादित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह केवल भूमि की कीमत निर्धारित करने के लिए था न कि समझौते को लागू करने के लिए।यह पुरस्कार केवल भूमि की कीमत की घोषणा करने वाला था।समझौते के अनुसार, यदि प्रत्यर्थी इस तरह से निर्धारित कीमत पर सहमत होता है, तो वह दिनांकित समझौते के संदर्भ में बिक्री विलेख निष्पादित कर सकता है क्योंकि उसके पास या तो कीमत स्वीकार करने और बिक्री विलेख निष्पादित करने का विकल्प था, या कीमत स्वीकार नहीं करना और इस प्रकार बिक्री विलेख निष्पादित नहीं करना था।इसका स्पष्ट अर्थ यह होगा कि पुरस्कार केवल भूमि की कीमत की घोषणा के लिए था, जो समझौते के अधीन होगा और प्रतिवादी के लिए मध्यस्थ द्वारा निर्धारित मूल्य पर बिक्री विलेख निष्पादित करना आवश्यक नहीं था।इस प्रकार जो निष्पादन योग्य था वह समझौता था, न कि पुरस्कार।राहत ए

/

/

/

831

एफ. आई. आर. एम. राजस्थान उद्योग और ओ. आर. एस. बनामहिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. [वाइन सारन, जे.] ए.

पुरस्कार के संदर्भ में बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा दिया गया, इस प्रकार विधि के दायरे से बाहर है, क्योंकि पुरस्कार में प्रतिवादी के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण पर विचार नहीं किया गया था, बल्कि केवल भूमि की कीमत निर्धारित की गई थी।

31. यह भी उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-I, भरतपुर के समक्ष 16.05.1994 पर दायर पुरस्कार के निष्पादन के लिए आवेदन में विधि के किसी भी प्रावधान का प्रावधान नहीं था जिसके अंतर्गत यह दायर किया गया था।हालाँकि, उक्त आवेदन के पैराग्राफ 2 में, यह उल्लेख किया गया था कि मध्यस्थ के पुरस्कार में पुरस्कार के निष्पादन के लिए एक निर्देश था, लेकिन वास्तव में पुरस्कार में ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था, जिसमें मध्यस्थ ने केवल भूमि की कीमत तय की थी और इससे अधिक कुछ नहीं।

/

/

32. हमारे विचार में, एक बार जब प्रत्यर्थी ने समझौते (1996 का दीवानी मुकदमा संख्या 60) के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे को वापस लेकर दिनांक 1 के समझौते के संदर्भ में बिक्री विलेख के निष्पादन के अपने दावे को छोड़ दिया था, जिसे 2 पर बिना शर्त वापस लेने की अनुमति दी गई थी, तो अपीलार्थी ने बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए अपने दावे को छोड़ दिया था।इस प्रकार, हमारी राय में, प्रत्यर्थी को अप्रत्यक्ष रूप से पुरस्कार के निष्पादन का दावा करके बिक्री विलेख के निष्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, जब दिनांकित समझौते के बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए प्रत्यक्ष दावा प्रत्यर्थी द्वारा छोड़ दिया गया था।

/

/

33. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि विशिष्ट प्रदर्शन केवल 01.02.1980 दिनांकित समझौते का हो सकता है न कि 09.06.1985 दिनांकित पुरस्कार का।यहां तक कि पुरस्कार का परिचालन भाग भी बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए कोई निर्देश नहीं देता है।पुरस्कार के पारित होने के बाद ही प्रत्यर्थी बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए समझौते पर वापस आ सकता था, जो प्रत्यर्थी ने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करके किया था, लेकिन मुकदमे को बिना शर्त वापस लेकर इस तरह के दावे को छोड़ दिया।

/

34. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का यह निवेदन कि बिक्री विलेख के निष्पादन का निर्देश देकर न्यायालय द्वारा पर्याप्त न्याय किया गया है, स्वीकृति के योग्य नहीं है।दीवानी मामले में, अदालतों को विधि का अक्षरशः पालन करना होता है, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया है, क्योंकि विधि में बिक्री विलेख को दिनांकित समझौते के निष्पादन में निष्पादित करने का निर्देश दिया जा सकता था, न कि पुरस्कार, जो केवल एक घोषणा थी, जो भूमि की कीमत निर्धारित करती थी।

/

/

832

/

[2020] 5 एस सी आर।

35. यह न्यायालय , एक डिक्री के निष्पादन के प्रश्न पर विचार करते हुए जिसने केवल डिक्री धारक के अधिकारों की घोषणा की और कुछ भी नहीं

अधिक, एम. पी. बनाम राज्य के मामले में हैमंगिलाल शर्मा (1998) 2

एस. सी. सी. 510 निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

“6. एक घोषणात्मक डिक्री केवल डिक्री-धारक और निर्णय-ऋणदाता के अधिकार की घोषणा करती है और निर्णय-ऋणदाता को किसी विशेष कार्य या चीज़ को करने या करने से रोकने का निर्देश नहीं देती है।चूंकि वर्तमान मामले में डिक्री वेतन के बकाया की बहाली या भुगतान का निर्देश नहीं देती है, इसलिए निष्पादन न्यायालय इस उद्देश्य के लिए कोई प्रक्रिया जारी नहीं कर सकती क्योंकि यह डिक्री के बाहर या उससे आगे जाना होगा।एक डिक्री धारक के रूप में प्रतिवादी घोषणा के लिए मुकदमे में वेतन के बकाया के लिए अपना उपाय मांगने के लिए निशुल्क था।निष्पादन न्यायालय के पास वेतन के भुगतान का निर्देश देने या कोई अन्य परिणामी राहत देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जो घोषणात्मक डिक्री से सीधे और आवश्यक रूप से नहीं आता है।

/

/

/

36. कोल लिंकर बनाम कोल इंडिया लिमिटेड (2009) 9 एस. सी. सी. 491,

जहां यह न्यायालय एक मध्यस्थ के उस पुरस्कार पर विचार कर रहा था जिसके द्वारा ब्याज निश्चित अवधि के लिए दिया गया था, लेकिन अन्य अवधि के लिए नहीं, और निष्पादन न्यायालय ने ऐसी अवधि के लिए भी ब्याज दिया था, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

/

“16. मान लीजिए, तत्काल मामले में मध्यस्थ द्वारा पहली दो अवधियों के लिए पुरस्कार में ब्याज दिया गया है।लेकिन अंतिम अवधि के लिए मध्यस्थ द्वारा पुरस्कार में ब्याज नहीं दिया गया है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता पुरस्कार विजेता ने पुरस्कार के संदर्भ

में निर्णय देने के लिए अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया।इसलिए निष्पादन न्यायालय के लिए पुरस्कार से परे जाने और पुरस्कार के बाद की अवधि के लिए ब्याज देने की कोई गुंजाइश नहीं है जो पुरस्कार में नहीं दी गई थी।यहां निष्पादन न्यायालय पुरस्कार से परे चला गया है और इस प्रकार अपने अधिकार क्षेत्र से परे चला गया है और एक डिक्री पारित की है जो इस प्रकार एक शून्य हो जाता है। "

/

/

37. पदोन्नति देने के लिए निष्पादन न्यायालय की शक्ति पर विचार करते हुए जो डिक्री का हिस्सा नहीं था, इस न्यायालय के मामले में

जे एंड के बैंक लिमिटेड बनाम जगदीश सी. गुप्ता (2004) 10 एस. सी. सी. 568

इसके अंतर्गतः

/

833

एफ. आई. आर. एम. राजस्थान उद्योग और ओ. आर. एस. बनामहिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. [वाइन सारन, जे.] ए.

/

“2. मामले में शामिल छोटा प्रश्न यह है कि क्या निष्पादन न्यायालय यह निर्देश देकर डिक्री से आगे जा सकती है कि प्रतिवादी को मुख्य प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया जाए।यह अब समग्रता नहीं है कि निष्पादन न्यायालय के पास डिक्री के पीछे जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।यह विवादित नहीं है कि डिक्री में प्रतिवादी को मुख्य प्रबंधक के पद पर पदोन्नत करने का कोई निर्देश नहीं था।ऐसी परिस्थितियों अंतर्गत , हमारा विचार है कि निष्पादन न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय निष्पादन मामले अंतर्गत निर्देश जारी करने अंतर्गत त्रुटि अंतर्गत पड़ गया कि प्रतिवादी को मुख्य प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया जाए।इसलिए, चुनौती के अंतर्गत आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए।हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।अपील की अनुज्ञात है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। "

/

/

38. इसी तरह, गुरदेव सिंह बनाम नारायण सिंह के मामले में।

(2007) 14 एस. सी. सी. 173, जहाँ प्रार्थना की गई डिक्री के निष्पादन का प्रश्न उस आदेश से परे था जिसके लिए आदेश दिया गया था, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

/

“7. हम उक्त तर्क से सहमत हैं।प्रश्न डिक्री के एक नंगे अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसमें अपीलार्थी को एक तरफ खसरा संख्या 17/2 और दूसरी तरफ खसरा संख्या 218/1 और 17/1 पर कोई भी पेड़ लगाने से स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था।आदेश में पहले से लगाए गए किसी भी पेड़ को हटाने की बात नहीं की गई थी।निष्पादन न्यायालय , जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, उक्त डिक्री की व्याख्या करते हुए पूरी तरह से गलत आधार पर आगे बढ़ी कि पक्षों की आम सीमा के दोनों ओर दो कराम के भीतर कोई पेड़ नहीं होना चाहिए।इस तरह की व्याख्या स्पष्ट रूप से डिक्री की अवधि के अनुरूप नहीं है।इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा एक न्यायिक त्रुटि की गई है।

/

/

8. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकती है।चूंकि डिक्री ने डिक्री धारक को पेड़ों को हटाने के माध्यम से डिक्री के निष्पादन के लिए प्रार्थना करने के लिए कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए इसे विद्वान निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन के अंतर्गत डिक्री की भावना को समझने के नाम पर निर्देशित नहीं किया जा सकता था। "

/

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी पुरस्कार का निष्पादन केवल उस सीमा तक हो सकता है जो प्रदान किया गया है/घोषित किया गया है और उससे आगे नहीं।में

/

834

/

[2020] 5 एस सी आर।

वर्तमान मामले में, मध्यस्थ ने अपने निर्णय में केवल भूमि की कीमत घोषित की थी और इससे अधिक कुछ नहीं।इस प्रकार, मध्यस्थ द्वारा अपने निर्णय में घोषित मूल्य पर भूमि की बिक्री विलेख के निष्पादन का प्रश्न निर्देशित नहीं किया जा सका।

39. अन्यथा भी, प्रत्यर्थी के पक्ष में कोई इक्विटी नहीं हो सकती है, क्योंकि न तो कोई राशि का भुगतान किया गया था और न ही प्रत्यर्थी द्वारा जमा की गई थी।प्रत्यर्थी द्वारा कोई बकाया राशि भी नहीं दी गई थी।यह केवल रुपये का स्टाम्प पेपर था, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा पुरस्कार के निष्पादन के लिए 16.05.1994 पर आवेदन दाखिल करने के समय न्यायालय में 5,500

रुपये की जमा राशि के साथ जमा किया गया था।40. यह भी उल्लेखनीय है कि न तो 01.02.1980 दिनांकित समझौता और न ही 09.06.1985 दिनांकित पुरस्कार पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था।रमेश कुमार बनाम फुरू राम (2011) 8 एस. सी. सी. 613 के मामले में इस न्यायालय ने एक अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और हित से संबंधित मध्यस्थता पुरस्कार के गैर-पंजीकरण के प्रभाव पर विचार किया था और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया थाः

/

/

/

“46. इस प्रकार पुरस्कार स्पष्ट रूप से ऐसे दस्तावेज हैं जो एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित बनाने और घोषित करने के लिए काम करते हैं। 100 जो विवाद या मध्यस्थता के संदर्भ का विषय नहीं था।इसलिए, पुरस्कार अनिवार्य रूप से पंजीकृत थे।यदि वे पंजीकृत नहीं थे, तो उन पर पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 49 के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जा सकती थी और न ही ऐसे अपंजीकृत पुरस्कारों के संदर्भ में कोई डिक्री पारित की जा सकती थी। "

/

41. यद्यपि, वर्तमान मामले में, पुरस्कार किसी अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या ब्याज से संबंधित नहीं था और केवल भूमि की कीमत के निर्धारण के लिए था, फिर भी यदि निष्पादन न्यायालय को भूमि के बिक्री विलेख (अचल संपत्ति) के निष्पादन के लिए ऐसा करना था, तो उसे ऐसे पुरस्कार के गैर-पंजीकरण के प्रभाव पर विचार करना चाहिए था, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया है।

/

42. उनके इस तर्क के समर्थन में कि निष्पादन न्यायालय की शक्तियां काफी व्यापक हैं, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भवन वाजा बनाम सोलंकी के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

/

हनुजी खोदाजी मनसंग (1973) 2 एस. सी. सी. 40, जिसमें यह आयोजित किया गया है।

कि -

/

एफ. आई. आर. एम. राजस्थान उद्योग और ओ. आर. एस. बनामहिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. [वाइन सारन, जे.] ए.

/

“20.....एक डिक्री के निर्माण के लिए यह कर सकता है और उचित मामलों में, इसे दलीलों के साथ-साथ डिक्री तक जाने वाली कार्यवाही को भी ध्यान में रखना चाहिए।किसी डिक्री में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ का पता लगाने के लिए न्यायालय को अक्सर उन परिस्थितियों का पता लगाना पड़ता है जिनके अंतर्गत उन शब्दों का उपयोग किया गया था।यही निष्पादन न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य है और यदि वह न्यायालय उस कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहता है तो वह स्पष्ट रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है।

/

वर्तमान मामले में प्रश्न अलग है, जो यह है कि क्या किसी पुरस्कार के निष्पादन का निर्देश बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए पुरस्कार में कोई निर्देश होने के अभाव में दिया जा सकता था, कौन सा निर्देश केवल दिनांकित समझौते के निष्पादन के मामले में दिया जा सकता था।उपरोक्त मामले अंतर्गत प्रश्न प्रश्न एक डिक्री का था जो निष्पादन के अधीन था, जबकि किसी भी न्यायालय द्वारा ऐसी कोई डिक्री पारित नहीं की गई थी जिसे वर्तमान मामले अंतर्गत निष्पादित किया जाना था।इस प्रकार वर्तमान मामले के तथ्य उपरोक्त मामले के तथ्यों से अलग हैं।

/

/

43. प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी मीनाक्षी सक्सेना बनाम ईसीजीसी में दिए गए इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।

लिमिटेड **(2018) 7** एस**.** सी**.** सी**. 479** के साथ**-**साथ तोपनमल छोटामल बनाम

कुंडोमल गंगाराम ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 388, जो हमारी राय में तथ्यों पर अलग-अलग हैं।मीनाक्षी सक्सेना (ऊपर) के मामले में उपभोक्ता न्यायालय का एक स्पष्ट निर्णय था, जिसे न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जाना था।उक्त निर्णय के अनुच्छेद 17 में, यह न्यायालय

/

अभिनिर्धारित किया कि "निष्पादन कार्यवाही का पूरा उद्देश्य न्यायालय के फैसले को लागू करना है।डिक्री को निष्पादित करते समय न्यायालय को निष्पादित करना केवल इसके निष्पादन भाग से संबंधित है, लेकिन कुछ और नहीं।न्यायालय को निर्णय को उसके अंकित मूल्य में लेना होता है।” में

/

टोपनमल (ऊपर) के मामले अंतर्गत , विचाराधीन डिक्री साझेदारी फर्म के खिलाफ थी और भागीदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों के खिलाफ निष्पादित की जानी थी।उक्त निर्णय के पैरा 4 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

“सबसे खराब स्थिति में डिक्री को अस्पष्ट कहा जा सकता है।ऐसे मामले में डिक्री का अर्थ निकालना निष्पादन न्यायालय का कर्तव्य है।डिक्री की व्याख्या करने के उद्देश्य से, जब इसकी शर्तें अस्पष्ट हों, तो न्यायालय निश्चित रूप से अभिवचनों और निर्णय पर गौर करने का हकदार होगा:मानाकचंद बनाम मनोहरलाल, 71 इंड देखें। ऐप. 65:(ए. आई. आर 1944 पी. सी. 46)।आगरा मुकदमे में शिकायत में, मुकदमा

/

/

1949 का सं. 205, न केवल फर्म के खिलाफ राहत मांगी गई थी, बल्कि प्रतिवादियों 2 से 6 के खिलाफ एक व्यक्तिगत डिक्री का भी दावा किया गया था।” में।

वर्तमान मामले में, न्यायालय पुरस्कार के निष्पादन के बारे में चिंतित है न कि समझौते के बारे में।मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार में, भूमि की कीमत तय की गई थी, जिसे दिनांकित 01.02.1980 समझौते के संदर्भ में निष्पादित किया जाना था, और वह भी प्रत्यर्थी के विकल्प पर।इस प्रकार, पुरस्कार में निर्धारित मूल्य पर बिक्री विलेख को निष्पादित करने का कोई निर्देश नहीं हो सकता है, वह भी पुरस्कार के निष्पादन के लिए याचिका में, दिनांकित समझौते के निष्पादन के लिए कोई अनुरोध किए बिना।44. पूर्ण न्याय करने के लिए डिक्री के पीछे जाने का मतलब यह नहीं होगा कि मामले की पूरी प्रकृति को बदला जा सकता है, और जो प्रतिवादी के पक्ष में नहीं दिया गया था, उसे निष्पादन न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। मध्यस्थ द्वारा निर्धारित मूल्य पर भूमि खरीदने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद ही प्रत्यर्थी के पक्ष में समझौते को लागू करने का अधिकार उत्पन्न हो सकता था।वर्तमान मामले में मध्यस्थ का पुरस्कार अपने आप में पक्षों के बीच एक निर्णायक अनुबंध नहीं था, जिसे निष्पादित किया जा सकता था।

/

/

/

45. ऊपर दिए गए कारण के लिए, हमारी निश्चित राय है कि 1985 की सिविल संशोधन याचिका संख्या 81 में पारित राजस्थान उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय , जिसमें दिनांक

1 के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा गया है, रद्द होने योग्य है, और इसके द्वारा रद्द किया जाता है, और यह अपील अनुज्ञात देने योग्य है।

/

46. अब इस न्यायालय द्वारा जिस पर आगे विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या इस न्यायालय द्वारा 02.09.2016 पर पारित अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी के पक्ष में कोई मुआवजा दिया जाना है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

/

"आठ सप्ताह के भीतर वापसी योग्य सूचना जारी करें।

याचिकाकर्ता द्वारा छह सप्ताह के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष Rs.50,00,000/- (केवल पचास लाख रुपये) की राशि जमा करने के अधीन आक्षेपित निर्णय के संचालन पर रोक होगी। "

/

उक्त आदेश के संदर्भ में, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय की रजिस्ट्री में Rs.50,00,000/- जमा किया है, जिसे अल्पकालिक सावधि जमा खाते में रखने का निर्देश दिया गया है।

47. फिर, 23.02.2017 पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" सुनवाई के दौरान, यह प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल जैन के सामने रखा गया था, चाहे वह ए के आधार पर हो।

/

837

एफ. आई. आर. एम. राजस्थान उद्योग और ओ. आर. एस. बनामहिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. [वाइन सारन, जे.]

विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार का, क्या प्रत्यर्थी संपत्ति का मालिक बन सकता है, विशेष रूप से तब जब पुरस्कार डाक टिकट अधिनियम के अनुसार पंजीकृत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह भी बताया गया कि क्या जब अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा वापस ले लिया गया था, तो क्या उन्हें मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार के आधार पर अधिकार, शीर्षक और ब्याज मिल सकता है, जिसने एक प्राधिकरण के हस्तक्षेप के आधार पर संदर्भ में प्रवेश किया था जो चाहता था कि पक्षों को बातचीत करनी चाहिए और एक समझौते पर पहुंचना चाहिए।

/

यह ध्यान दिया जाए कि प्रथम दृष्टया, पुरस्कार मूल्य के परिमाणीकरण से संबंधित है और इसलिए, विचार के लिए जो मुद्दा उत्पन्न होगा वह यह है कि क्या मूल्य का निर्धारण प्रतिवादी में कोई अधिकार, स्वामित्व और ब्याज पैदा करता है।इन सभी प्रश्नों के अलावा, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील को एक सुझाव दिया गया था कि क्या वह जिला न्यायालय के समक्ष जमा किए गए धन के अलावा, मुकदमे की लागत और उसके द्वारा किए गए अन्य खर्चों के लिए <ID1,00,000/- लेने के लिए संतुष्ट होगा और विवाद को समाप्त करेगा। "

/

/

(जोर दिया गया)

जब उपरोक्त तथ्यों को पक्षों के विद्वान वकील के सामने रखा गया, तो याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सुधीर चंद्र अग्रवाल ने प्रतिवादी को मुकदमे की लागत और अन्य खर्चों के लिए ऐसी राशि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, जो इस न्यायालय द्वारा तय/निर्धारित की जा सकती है।

/

48. हमारे विचार में, इस मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के संदर्भ में जमा की गई राशि, उस पर उपार्जित ब्याज के साथ, प्रतिवादी को भुगतान किया जाएगा, और इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा आज से छह सप्ताह के भीतर प्रतिवादी को 1,00,000/- की अतिरिक्त राशि का भी भुगतान किया जाएगा, जो सभी मुकदमेबाजी की लागत और प्रतिवादी द्वारा किए गए अन्य खर्चों के लिए होगा।इसके साथ, पक्षों के बीच लंबे समय से चली आ रही मुकदमेबाजी को शांत किया जाएगा।49. तदनुसार, यह अपील ऊपर दिए गए निर्देशों के संदर्भ में अनुज्ञात है।

/

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

/